

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील की अधिकारिता

सिविल अपील संख्या। 2014 का 7467-7470

सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति

. अपीलकर्ता

बनाम

तमिलनाडु राज्य अन्य एस.

प्रतिवादी

पंकज मिट्ठल, जे.

1. इन अपीलों में चुनौती से तहत मद्रास में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश है जो रिट अपीलों की अनुमति देता है और जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश से दिनांक 29.04.2005 से फैसले और आदेश को अपास्त दिया विद्वान है जिसमें मुकदमे की भूमि को वक्फ सम्पत्ति घोषित किया विद्वान है।

2. वर्तमान अपीलों में विवाद हस्ताक्षर अप्रमाणित भूमि सर्वेक्षण संख्या में भूमि के आसपास केंद्रित है। सलेम ज़मीन एस्टेट में 5105 और 5108 पूजा शर्मा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दिनांक: 2023.05.18 16:24:19 IST कारण: जो ओ. टी. एस. से मेल खाता है। नं. क्रमशः 2253 और 2210।

ओ. टी. एस. 2253 को न्यू टाउन सर्वे नंबर 1 (टी. एस. नंबर 1) आवंटित किया गया है और ओ. टी. एस. 2210 को न्यू टाउन सर्वे, यानी टी. एस. नंबर 113 और 70 आवंटित किया गया है।

3. वर्तमान अपीलों में, हम मात्र जमीन सर्वेक्षण No.5108 (O.T.S.2210, अब टी. एस. Nos.113 और 70) से संबंधित हैं, जिसे अब से "मुकदमा लैंड" के रूप में वर्णित किया जाएगा।

4. इसमें अपीलकर्ता सलेम मुस्लिम कब्र स्थल संरक्षण समिति, सलेम 1 है। तमिलनाडु राज्य (राजस्व विभाग) प्रतिवादी संख्या 1 है, और प्रतिवादी Nos.2 और 3 क्रमशः वाणिज्यिक कर और धार्मिक बंदोबस्ती और सर्वेक्षण और निपटान कार्यालय के निदेशक हैं, जो औपचारिक पक्ष हैं। प्रतिवादी Nos.4 द्वारा 23 तक दावेदार हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि वे "मुकदमा भूमि" पर रह रहे हैं और प्राचीन काल द्वारा इसके निवासी हैं जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के माध्यम द्वारा इस पर अधिकार हासिल किए हैं। पुराने अभिलेखों द्वारा पता चलता है कि एक समय में "मुकदमा भूमि" का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था, लेकिन नगर पालिका ने वर्ष 1867 में कहीं न कहीं स्वास्थ्य कारणों द्वारा इद्वारा बंद करने का आदेश दिया और कब्रिस्तान के रूप में उपयोग करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया था।

5. दावेदार प्रतिवादी में खंड एक, पेरुमल चेट्टियार ने "सूट भूमि" में रैयतवारी पट्टा का दावा किया। प्रतिवादी के तीन अन्य दावेदारों, ए. रामास्वामी चेट्टियार, गोविंदा पिल्लई और श्री अब्दुल सलीम साहिब के माध्यम खंड अपीलकर्ता समिति ने भी मुकदमा भूमि में अपने दावे स्थापित किए। तदनुसार, सहायक निपटान अधिकारी, सलेम 2 ने मार्च, 1959 में तमिलनाडु संपदा (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1948 3 की धारा 11 (ए) के से जांच शुरू की।

6. उत्सादन अधिनियम, 1948 की उपरोक्त धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि किसी संपत्ति में प्रत्येक रैयत अधिसूचित तिथि खंड रैयतवाड़ी भूमि के संबंध में रैयतवारी पट्टा का हकदार होगा, जिसका अर्थ है मद्रास संपत्ति भूमि अधिनियम, 1908 के अनुसार निजी भूमि के अलावा किसी अन्य संपत्ति में खेती योग्य भूमि, जिसमें कुछ प्रकार की भूमि शामिल नहीं है, जैखंड कि ग्राम स्थल और जो ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए अलग रखी गई हैं।

7. एसओ द्वारा धारा 11 (ए) के से शुरू की गई उपरोक्त जांच में, पेरुमल चेट्टियार ने दावा किया कि "मुकदमा भूमि" उन्हें सलेम के जमींदार द्वारा दिनांक 20.01.1935 के प्रदर्शन ए1 के माध्यम खंड सौंपी गई थी।

उन्होंने प्रदर्शनी ए2 और ए3 पर भरोसा किया जो तत्कालीन जमींदार द्वारा मुकदमा भूमि के संबंध में उन्हें दिए गए पट्टे थे। उपरोक्त कार्य और पट्टों के आधार पर, उन्होंने कार्य की तिथि से ही खुद को "मुकदमा भूमि" के कब्जे में होने का दावा किया और तर्क दिया कि मुसलमानों ने कभी भी उक्त भूमि पर अपने शवों को नहीं दफनाया है।

8. इसके साथ ही, A.Ramaswamy चेट्टियार का दावा है कि उन्होंने वर्ष 1954 में Rs.5000/-some समय के लिए रामास्वामी पिल्लई, माणिकम पिल्लई, शुभु पंडाराम और वासुदेव चेट्टियार से मुकदमा भूमि का कुछ हिस्सा खरीदा था। उन्होंने विभिन्न पक्षों के पक्ष में "मुकदमा भूमि" के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों (बी2 से बी7 को प्रदर्शित करता है) के आधार पर अपने दावे पर जोर दिया।

9. दूसरे दावेदार गोविंदा पिल्लई ने अपने पूर्ववर्तियों के हक के आधार पर मुकदमा भूमि पर अपना दावा किया, जैसा कि उनके पिता ने उन्हें बताया था, जबकि अपीलकर्ता समिति ने जोर देकर कहा कि यह एक कब्रिस्तान है, और इसे किसी भी निजी व्यक्ति के साथ नहीं निपटाया जा सकता है।

10. एसओ ने दिनांक 31.03.1959 के आदेश के माध्यम खंड सआत्यन्तिक रूप पक्षों के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "मुकदमा भूमि" प्रकृति में सांप्रदायिक है और संपत्ति अधिनियम की धारा 20ए के से कलेक्टर की घोषणा के बिना उक्त भूमि का कोई आत्यन्तिक रूप आवंटन संभव नहीं था। एसओ ने अग्रेतर कहा कि पिछले 60 वर्षों खंड "मुकदमा लैंड" पर कोई दफन नहीं किया गया था और टी. एस. No.2253 पर मात्र 2 मकबरे मौजूद हैं और "मुकदमा लैंड" पर किसी आत्यन्तिक रूप दफन का कोई संकेत नहीं है जो वास्तव में कआत्यन्तिक रूप आत्यन्तिक रूप कब्रिस्तान के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।

11. दोनों दावेदार पेरुमल चेट्टियार और ए. रामास्वामी चेट्टियार ने ए. एस. ओ. के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध निपटान अधिकारी, सलेम के समक्ष अलग-अलग संशोधन मुकदमा किए। संशोधनों को निपटान अधिकारी द्वारा उसी तर्क पर खारिज कर दिया गया था जैसा कि ए. एस. ओ. ने दिनांक 03.10.1959 के आदेश में किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार "सूट भूमि" पर रैयतवारी पट्टा के हकदार नहीं हैं।

12. एसओ और निपटान अधिकारी के आदेशों को उपरोक्त दो दावेदार प्रतिवादी द्वारा सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष संशोधन के माध्यम खंड लिया गया था, लेकिन उन संशोधनों को भी 31.01.1960 पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद, राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया। एसओ, निपटान अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक और राजस्व बोर्ड खंड शुरू होने वाले उपरोक्त आदेशों खंड नाराज, विभिन्न दावेदारों द्वारा "सूट भूमि" के संबंध में रिट याचिकाएं मुकदमा की गईं, जिनमें क्रमशः

A.Ramaswamy चेट्टियार और पेरुमल चेट्टियार द्वारा 1960 की रिट याचिका Nos.903 और 1258 शामिल हैं और दोनों ने "सूट भूमि" के संबंध में उत्सादन अधिनियम की धारा 11 के से रैयतवारी पट्टा का दावा किया।

13. रिट अदालत ने एक सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक बार कब्रिस्तान होने के बाद भूमि का स्वरूप मात्र इस कारण से नहीं बदलेगा कि इसका उपयोग 1900 से दफनाने के उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था या उक्त भूमि पर कोई दफन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि "मुकदमा भूमि" का उपयोग कभी भी कब्रिस्तान के रूप में नहीं किया गया था और यह कि कब्रिस्तान टी. एस. 2253 का हिस्सा रहा होगा और दोनों स्थल एक ट्रंक रोड से अलग हैं।

14. रिट अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर दावेदार चेट्टियार ने कुछ अन्य लोगों के साथ खण्ड पीठ के समक्ष रिट अपील को प्राथमिकता दी। रिट अपीलों को 12.01.1965 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, लेकिन निम्नलिखित अवलोकन के साथ:

66 इनमें से प्रत्येक मामले में, हम मद्रास अधिनियम 1948 खंड धारा 19ए के से कब्जे में बने रहने के अपने अधिकार को सरकार द्वारा मान्यता देने के संबंधित याचिकाकर्ता के दावे खंड सराहना करेंगे, निश्चित रूप से उन सभी विचार के अधीन जो मुस्लिम कब्रिस्तान समिति या दावा करने में रुचि रखने वाले प्रश्नसी भी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभाव के लिए आग्रह प्रश्नया जा सकता है, यहां तक प्रश्न वर्तमान समय में भी सांप्रदायिक उपयोगकर्ता या विचाराधीन सम्पत्ति खंड प्रकृति।

इसके अग्रेतर हमारी टिप्पणी इस शर्त के अधीन है कि 1948 के अधिनियम 26 खंड धारा 19ए के से दावा करने वाले याचिकाकर्ता मूल्य के लिए वास्तविक गैर-कानूनी हैं, जिन्होंने ऐसी संपत्तियों को लिया है और उन्हें निजी उपयोग में रखा है, इस वास्तविक विश्वास में कि वे जमींदार से विक्रेताओं के निजी स्वामित्व में भूमि का सौदा कर रहे थे, न कि सांप्रदायिक भूमि के साथ। इन व्यक्तियों द्वारा उन पर भवनों के निर्माण को अधिनियम खंड धारा 19ए के से कार्रवाई के लाभ के लिए न्यायसंगत विचार पर, वास्तविक साक्ष्य और उन्हें हकदार बनाने वाले तथ्य के रूप में भी माना जा सकता है।

15. खण्ड पीठ का उपरोक्त अवलोकन और निर्देश वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले विवाद का मूल है।

16. खण्ड पीठ के उपरोक्त निर्देश पर किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी उच्च मंच में या अन्यथा भी सवाल नहीं उठाया गया था, बल्कि अपीलकर्ता समिति ने बिना किसी आरक्षण के परिणामी कार्यवाही में भाग लेकर उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया।

17. सर्वेक्षण और निपटान निदेशक ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के उपरोक्त निर्देशों के बल पर उत्सादन अधिनियम की धारा 19ए के से कार्यवाही शुरू की और अंत में दावेदारों A.Ramaswamy चेट्टियार और अन्य द्वारा दिनांकित 31.01.1975 आदेश के माध्यम खंड किए गए दावों को स्वीकार कर लिया।

यह माना गया कि उन्होंने उन व्यक्तियों से मूल्यवान विचार के लिए "मुकदमा भूमि" खरीदी है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक "मुकदमा भूमि" पर कब्जा कर लिया था और यह कि दफनाने के उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी।

18. उत्सादन अधिनियम की धारा 19ए के से दावेदारों को अधिकार प्रदान करने वाले सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के निर्णय खंड व्यथित, अपीलकर्ता समिति ने भूमि राजस्व आयुक्त, मद्रास के समक्ष संशोधन को प्राथमिकता दी। इखंड 20.04.1976 पर खारिज कर दिया गया था। राजस्व विभाग ने G.O.Ms.No.453 दिनांक 14.03.1990 जारी किया, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश को स्वीकार और पुष्टि करते हुए दावेदार प्रतिवादी को "सूट भूमि" पर कब्जे में रहने की अनुमति दी। इस स्तर पर, अपीलकर्ता समिति ने राजस्व विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए 1990 की रिट याचिका No.6300 मुकदमा करके उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया। इसी प्रभाव की एक और रिट याचिका A.Annamalai और 13 अन्य लोगों द्वारा मुकदमा की गई थी। यह

तर्क दिया गया कि भूमि राजस्व आयुक्त ने सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश के विरुद्ध संशोधन को उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज कर दिया था।

उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अपीलकर्ता समिति ने रिट अपील दायर की थी, जिसकी अनुमति आई. डी. 1 पर दी गई थी और मामले को सरकार को इसकी पुनः सुनवाई करने और तीन महीने के भीतर इसे फिर से तय करने के लिए भेजा गया था।

19. उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, सरकार के स्तर पर मामले पर पुनर्विचार किया गया और यह देखते हुए G.O.Ms.No.676 दिनांक 23.12.1999 जारी किया गया कि चूंकि "मुकदमा भूमि" सरकार में निहित है, इसलिए उत्सादन अधिनियम की खंड 19ए के से दावेदार प्रतिवादी को उसी के कब्जे में रहने की अनुमति देने के लिए खुला है।

20. अपीलकर्ता समिति ने 2000 की एक नई रिट याचिका मुकदमा करके उपरोक्त G.O.Ms.No.676 दिनांकित 23.12.1999 को चुनौती देने वाली रिट याचिका को फिर खंड प्राथमिकता दी। रिट याचिका को दो मामलों पर 29.04.2005 के आदेश के माध्यम खंड अनुमति दी गई थी: (i) "सूट भूमि" को वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया है और इस तरह इखंड उत्सादन अधिनियम की धारा 19ए के से शक्तियों के प्रयोग में अलग नहीं किया जा सकता है; और (ii) भले ही धारा 19ए का प्रयोग किया जाता है, यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में दावेदार प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है कि उन्हें भूमि धारकों द्वारा कब्जे में रखा गया था।

21. रिट अदालत के उपरोक्त निर्णय और आदेश खंड व्यथित दावेदार प्रतिवादी ने 2005 की रिट अपील संख्या 1327 और 1348 दायर की, जिखंड रिट अदालत के आदेश को दरकिनार करने के पश्चात दिनांक 1 के विमुकदमा निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ओटीएस 2253 एक मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत है जिखंड वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया है, जबकि "सूट भूमि" (ओटीएस 2210 अब टी. एस. संख्या 113 और 70) को मात्र एक रुद्र भूमि के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें मुस्लिम दफन का कोई संकेत नहीं है और इसलिए सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के दिनांक 2 के आदेश में इखंड वक्फ सम्पत्ति नहीं माना गया है। मुकदमा भूमि के वक्फ सम्पत्ति के रूप में किसी भी समर्पण को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है और वक्फ के रूप में "मुकदमा भूमि" के बारे में 29.04.1959 की अधिसूचना अस्वीकार्य है; पहला कारण यह है कि उक्त अधिसूचना को अपीलकर्ता समिति द्वारा 1999 तक किसी भी मामले में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष नहीं दबाया गया था; और दूसरा, इस कारण खंड कि यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया गया था कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के से विचार किया गया कोई भी प्रारंभिक सर्वेक्षण उक्त अधिसूचना जारी करने खंड पहले किया गया था।

वक्फ अधिनियम की खंड 5 के से।

22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है और ये हमारे समक्ष विचार के लिए आई हैं।

23. हमने अपीलकर्ता समिति विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती जून चौधरी और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री नरेंद्र कुमार और सुश्री एन. एस. नप्पिनाई के वकील को सुना था।

24. श्रीमती जून ने हमारे सामने मात्र दो तर्क रखे। पहला यह है कि एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ होता है और इसलिए, पिछले 60 वर्षों या उसखंड अधिक समय खंड "मुकदमा भूमि" पर शवों को दफन न खण्ड पीठ इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी ताकि प्रतिवादी को कोई क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सके जो उत्सादन अधिनियम की धारा 19ए के से शक्ति का प्रयोग करने में रैयतवारी पट्टा खंड बहुत कम है; दूसरा, मुकदमा भूमि में प्रतिवादी के दावों को एसओ, निपटान क्षेत्राधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक, राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

25. मुस्लिम कानून से तहत, वक्फ को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य से रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य से लिए इस्लाम का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल और अचल सम्पत्ति से स्थायी समर्पण से और इस तरह से समर्पण की अनुपस्थिति में, यह माना जा सकता है कि यह लंबे समय तक उपयोग करके अस्तित्व में आया था।

26. आम तौर पर, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए चल या अचल सम्पत्ति के किसी भी व्यक्ति समर्पण द्वारा वक्फ को अस्तित्व में लाया जाता है। एक बार इस तरह का समर्पण हो जाने के बाद, समर्पित करने के लिए मांगी गई सम्पत्ति वाकीफ से अलग हो जाती है, यानी, जो व्यक्ति इसे बनाता है या समर्पित करता है और सर्वशक्तिमान अल्लाह में निहित होता है। इस प्रकार बनाया गया वक्फ एक स्थायी प्रकृति प्राप्त करता है और बाद में इसे रद्द या रद्द नहीं किया जा सकता है। वक्फ की सम्पत्ति अविभाज्य है और इसे निजी उद्देश्य के लिए बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

27. वक्फ के निर्माण के परिणामस्वरूप समर्पण को कभी-कभी किसी भी स्पष्ट समर्पण की अनुपस्थिति में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि वक्फ सम्पत्ति के रूप में सम्पत्ति का लंबे समय तक उपयोग बशर्ते कि इसका उपयोग धार्मिक या सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। इस संबंध में, एम. सिद्दीक (डी) थ्रे में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। एल. आर. बनाम महांत सुरेश दास और Ors.5

28. हाथ में मामले में, इस्लाम का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए मुकदमा भूमि के किसी भी व्यक्ति समर्पण के बारे में शुरुआत से ही कोई सबूत नहीं है। इसलिए, स्वीकृत तथ्यों पर, मुकदमा भूमि के समर्पण द्वारा वक्फ को खारिज कर दिया जाता है।

29. इसलिए, एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या मुकदमा भूमि उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ का गठन करेगी क्योंकि इसका उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था जो वर्ष 1900 या 1867 से कम से कम पिछले 60 वर्षों से बंद है। यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस सबूत मात्र नहीं है कि वर्ष 1900 या 1867 से पहले की मुकदमा भूमि का उपयोग वास्तव में कब्रिस्तान (कब्रिस्तान) के रूप में किया जा रहा था। इसलिए, 1900 या 1867 से पहले कब्रिस्तान के रूप में मुकदमा भूमि का कथित उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह दिखाने के लिए साक्ष्य का अभाव है कि इसका उपयोग किया गया था। इस प्रकार, यह उपयोगकर्ता द्वारा मात्र वक्फ का गठन नहीं कर सकता है। मुकदमा लैंड को कब्रिस्तान या कब्रिस्तान के रूप में कथित रूप से दर्ज करना एक गलत नाम या गलत निर्माण है क्योंकि मुकदमा लैंड, यदि बिल्कुल मात्र है, तो इसे एक रुद्रभूमि के रूप में दर्ज किया गया है जो हिंदू श्मशान भूमि को दर्शाता है न कि कब्रिस्तान या कब्रिस्तान को।

यह मात्र जमीन सर्वेक्षण No.5105 या ओ. टी. एस. No.2253 (नया टी. एस. नंबर 1) था जिसमें दो मकबरे मौजूद थे जिन्हें अकेले कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त भूमि का विशेष रूप से सीमांकन किया गया है और सूट भूमि से अलग किया गया है। उक्त दफन भूमि को पहले ही वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था और इसकी रिकॉर्डिंग से सूट भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं मुकदमाेगा ताकि इसे कब्रिस्तान या कब्रिस्तान बनाया जा सके। इसलिए, सूट भूमि लंबे समय तक उपयोग से भी वक्फ भूमि साबित नहीं हुई थी। समर्पण या उपयोग द्वारा सूट भूमि के वक्फ के निर्माण को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

30. तर्क का एक अन्य अंग यह है कि मुकदमे की भूमि को अधिसूचना दिनांक 29.04.1959 के माध्यम से वक्फ सम्पत्ति घोषित किया गया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी घोषणा वक्फ अधिनियम, 1954 या वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुमुकदमा होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों अधिनियम किसी भी सम्पत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

31. वक्फ अधिनियम, 1954, जो वास्तव में हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, यह प्रावधान करता है कि पहले वक्फों का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और सर्वेक्षण आयोग, ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए, राज्य सरकार को उसमें गिने गए कुछ कारकों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा दूसरा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाएगा। एक बार सर्वेक्षण की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने और उसखंड उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा हो जाने के पश्चात रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इखंड वक्फ बोर्ड को भेजेगी। वक्फ बोर्ड इसकी जांच करने पर अधिनियम की धारा 5 के से विचार किए गए आधिकारिक राजपत्र में पूर्ण विवरण के साथ मौजूद वक्फों की सूची प्रकाशित करेगा। वक्फ अधिनियम, 1995 के से भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं।

32. उपरोक्त दो अधिनियमों के प्रावधानों को सीधे पढ़ने खंड पता चलेगा कि दोनों अधिनियमों की धारा 5 के से वक्फ की सूची घोषित करने वाली अधिसूचना मात्र उपरोक्त अधिनियमों की धारा 4 के से निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दो सर्वेक्षण, उसखंड उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा और राज्य सरकार और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण करने का प्रावधान है। इसलिए, किसी सम्पत्ति को वक्फ सम्पत्ति घोषित करने खंड पहले सर्वेक्षण करना अनिवार्य है।

हाथ में मामले में, अभिलेख पर कोई सामग्री या सबूत नहीं है कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 5 के से अधिसूचना जारी करने खंड पहले, कोई भी प्रक्रिया या सर्वेक्षण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया गया था। ऐसी सामग्री की अनुपस्थिति में मैं, अधिनियम की धारा 5 के से केवल अधिसूचना जारी करना मुकदमा भूमि के संबंध में एक वैध वक्फ नहीं होगा। इसलिए, दिनांकित 29.04.1959 अधिसूचना इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं है कि मुकदमा भूमि एक वक्फ सम्पत्ति है। संभवतः यही कारण है कि अपीलकर्ता समिति ने 1999 तक उक्त अधिसूचना को खंडवा में लाने के लिए कभी दबाव नहीं डाला था।

33. तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड बनाम हाथीजा अम्मल (मृत) एल. आर. एस. Etc.6, यह देखा गया कि वक्फ बोर्ड को अधिनियम की धारा 5 के से वक्फों को अधिसूचित करने खंड पहले वक्फ अधिनियम की धारा 4,5 और 6 या धारा 27 के से आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

34. मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल 7 में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण का संचालन और एक रिपोर्ट तैयार करना और उखंड राज्य या वक्फ बोर्ड को भेजना 1995 के अधिनियम (यह बोर्ड द्वारा 1954 के अधिनियम के से किया गया था) के से राज्य द्वारा आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सूची को अधिसूचित करने के अंतिम अधिनियम खंड पहले है। "जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, सूची सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा उचित जांच करने के पश्चात और वैध सर्वेक्षण के साथ-साथ उचित दिमाग लगाने के पश्चात तैयार की जाएगी। धारा 4 की उप-धारा (3) के से विचार की गई जांच मात्र एक अनौपचारिक जांच नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर यह पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच है कि सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है या नहीं। इसके पश्चात वक्फ बोर्ड एक बार फिर अपने दिमाग खंड भेजी गई सूची की जांच करेगा और उसके पश्चात ही उखंड राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

35. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के से एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसलिए, आधिकारिक राजपत्र वक्फ बोर्ड के कहने पर कोई भी अधिसूचना ले जाने के लिए बाध्य है, लेकिन फिर भी, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के इस तरह के प्रकाशन से मात्र इस कारण से बाध्य नहीं है कि इसे इस तरह से प्रकाशित किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड और Ors.8, हममें से एक (वी. रामसुब्रमण्यन, जे. एक सदस्य के रूप में) वाले इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन में आम जनता के लिए ज्ञान की धारणा है जैसे कि समाचार पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन, लेकिन राज्य राजपत्र में वक्फ बोर्ड के कहने पर प्रकाशित ऐसी अधिसूचना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

इसका मतलब यह है कि वक्फ अधिनियम के इशारे पर आधिकारिक राजपत्र में वक्फों की सूची देते हुए प्रकाशित अधिसूचना, यदि कोई हो, इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं है कि कोई विशेष सम्पति वक्फ सम्पति है, विशेष रूप खंड जब वक्फ अधिनियम की धारा 4 के से निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

36. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि मुकदमा भूमि एक वक्फ सम्पति है या थी और हमेशा एक वक्फ बनी रहेगी। मुकदमे की सम्पति के संबंध में वक्फ के वैध निर्माण के किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में, इसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है ताकि इसे वक्फ सम्पति के रूप में जारी रखा जा सके, चाहे इसका उपयोग या कब्रिस्तान के रूप में उपयोग न किया जाए।

37. अब अपील की समिति के विद्वान अधिवक्ता के दूसरे तर्क पर आते हैं कि रिट अपील की सुनवाई करने वाला उच्च न्यायालय मात्र रिट याचिका को अनुमति देने या इखंड खारिज करने के लिए बाध्य था और जब उसने इखंड खारिज करने का निर्णय लिया था, तो उखंड उत्सादन अधिनियम की धारा 19ए के से दावों पर विचार करने के लिए सरकार को कोई निर्देश जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

38. यद्यपि प्रथम आक्षेप में तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन गहन जांच पर दो कारणों से गुणदोष से रहित पाया जाता है-पहला, अपीलकर्ता समिति कभी भी इस तरह के निर्देश से व्यथित नहीं हुई क्योंकि उसने कभी भी किसी उच्च मंच पर सवाल या चुनौती नहीं दी; दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता समिति ने सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष बाद की कार्यवाही में बिना किसी विरोध के या इस संबंध में कोई आपत्ति लिए भाग लेकर उक्त निर्णय और उसमें निहित निर्देश को स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में और परिणामी कार्यवाहियों में अपीलार्थी समिति की भागीदारी उसे उस बिंदु पर आंदोलन करने के लिए पलटने से रोकती है जिसे उसने स्वीकार कर लिया था और वस्तुतः छोड़ दिया था या स्वीकार कर लिया था।

39. इस बात को सामने लाने के लिए कि अपीलकर्ता समिति ने दिनांक 2 के निर्णय और आदेश में निहित उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया था, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के दिनांक 1 के आदेश के पैराग्राफ 10 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जिसके से दावेदार प्रतिवादी को उत्सादन अधिनियम की खंड 19ए के से शक्तियों का प्रयोग करते हुए राहत दी गई है:

"मामला 11.00 AM पर 17.1.75 पर पोस्ट किया गया था। मुस्लिम कब्र स्थल संरक्षण समिति के सचिव, जो उस समय मौजूद थे, ने कहा कि उनके वकील मामले में भाग ले रहे हैं।

वह कभी भी किसी स्थगन का अनुरोध नहीं करते हैं। लेकिन अधिवक्ता दोपहर 12 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। इस मामले की सुनवाई मेंने की थी और सचिव भी मौजूद थे। अपराह्न 1.5 बजे मुस्लिम कब्र स्थल संरक्षण समिति के अधिवक्ता उपस्थित थे और उन्होंने आवश्यक वकालत दायर की। अचानक उन्होंने स्थगन का अनुरोध किया और उन्हें सूचित किया गया कि इस राज्य में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा क्योंकि मामले की सुनवाई सुबह उपस्थित पक्षों की उपस्थिति में हुई थी। वह लिखित आपत्ति बयान दायर करना चाहते थे और उन्हें अदालत के उठने से पहले इसे दायर करने की अनुमति दी गई; शाम 4 बजे 17.1.75 पर; सचिव ने अपना लिखित आपत्ति बयान दायर किया। 22.

40. सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष कार्यवाही में हारने पश्चात अपीलकर्ता समिति ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक संशोधन को प्राथमिकता दी थी जिसे भी खारिज कर दिया गया था। पुनरीक्षण में यह भी कोई तर्क नहीं दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश क्षेत्राधिकार के बिना हैं और उस पर बाध्यकारी नहीं हैं।

41. सर्वेक्षण और निपटान निदेशक और राजस्व बोर्ड के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अपीलकर्ता समिति ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को स्वीकार कर लिया था और उसके अनुसरण में बिना किसी बाधा के कार्यवाही में भाग लिया था और इस तरह इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इस तरह के विलंबित स्तर पर इस संबंध में कोई आपति उठाने से खुद को वंचित कर दिया था।

42. यह प्रस्तुतीकरण कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्देश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार के बिना है और क्षेत्राधिकार का मुद्दा पीड़ित पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, भी सारहीन नहीं है क्योंकि यह उस मामले में लागू नहीं होगा जहां पक्ष ने सफलता और विफलता का मौका लेते हुए कार्यवाही में भाग लेकर क्षेत्राधिकार के आगे झुक गया हो। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता समिति ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्देशों को चुनौती नहीं दी है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार के बिना है, बल्कि परिणामी कार्यवाही में भाग लेकर उक्त निर्देशों के लिए सहमति/स्वीकार किया है। एक बार जब अपीलकर्ता समिति आदेश को स्वीकार कर लेती है और कार्यवाही में भाग लेती है, तो उसे इस तरह का निर्देश जारी करने में अदालत के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने से कानूनी रूप से वंचित कर दिया जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता समिति को इस स्तर पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाने का अधिकार है।

43. अधिग्रहण के सिद्धान्त को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9वें संस्करण में एक व्यक्ति की मौन या निष्क्रिय स्वीकृति या किसी कार्य के लिए निहित सहमति के रूप में समझाया गया है।

इसे समता के एक सिद्धान्त के रूप में वर्णित किया गया है जिसे उस मामले में लागू किया जाना चाहिए जहां आदेश पारित किया गया है और बिना कोई आपति उठाए इसका पालन किया गया है। एक्विजेंस के बाद एस्टोपेल होता है। छह दशक पहले 'पन्नालाल बिजराज बनाम भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ को निष्कासन के दायरे को समझाने का अवसर मिला था। इसमें कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है और वह बिना कोई आपति उठाए उक्त आदेश के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत हो जाता है या उसका पालन करता है, तो उसे उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, बाद में, जब वह सफल नहीं हो सका। आदेश का पालन करने या भागीदारी द्वारा न्यायालय के आदेश के क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करने में व्यक्ति का आचरण, उसे न्यायालय के समक्ष किसी भी राहत के लिए अयोग्य बनाता है।

44. यह तय किया गया है कि कानून किसी व्यक्ति को अनुमोदन और खंडन दोनों की अनुमति नहीं देता है क्योंकि कोई भी पक्ष एक ही दस्तावेज को प्रतिग्रहण करना और अप्रतिग्रहण करना नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को एक समय में यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि लेन-देन वैध है और इसके से लाभ प्राप्त करने के लिए और दूसरी ओर यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह कुछ अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए अमान्य या गलत है।

45. हाथ में मामले में स्थिति उपरोक्त संदर्भित मामले के समान और समान है और इस तरह अपीलकर्ता समिति ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के अनुसार बाद की कार्यवाही में भाग लिया था, जिसमें असफल होने पर ऐसे आदेश की वैधता को उठाने या विवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

46. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता की ओर से प्रचार किए गए दोनों बिंदुओं में से किसी में भी कोई सार नहीं पाते हैं। इस तरह की अपीलों में योग्यता की कमी होती है और उन्हें लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

जे. (वी. रामसुब्रमण्यन)

जे. (पंकाज मिट्ठल)

नई दिल्ली; 18 मई, 2023।

It is to certify that, above translation has been done only on SUVAS.

Himani Dhyani

(A.R.O)